सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 160/2015 अपील (RCMS/2015/00008)
पंजीयन दिनांक – 15.12.2015
निर्णय दिनांक – 05.06.2018

1. श्री पदमसिंह पिता श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी मुण्डावतों का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता तुलसीराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्री मनोहरलाल पिता तुलसीराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री नरेश कुमार पिता तुलसीराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई बेवा तुलसीराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
5. श्री ईश्वरलाल पिता जीवन लाल जी जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती सावित्री बाई बेवा जीवनलाल जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
7. श्री मुरलीधर पिता सावलराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
8. श्री परमानन्द पिता सावलराम जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
9. श्री गंगाधर पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
10. श्री श्यामलाल पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

11. श्री विष्णुदत्त पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
12. श्री रमेश कुमार पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
13. श्रीमती सरजू बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण, निवासी ढिकोड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री झालम सिंह मौजावत – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4,

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गोगुन्दा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 06/2014 प्रा.पत्र दिनांक 17–11–2015

निर्णय

दिनांक 05.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,गोगुन्दा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 06/2014 प्रा.पत्र दिनांक 17–11–2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढिकोड़ा पटवार मण्डल दियाण, तहसील गोगुन्दा के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2035 के साबिक आराजी नम्बर 2451, 2462 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी के हाल आराजी नम्बर 3501 रकबा 0.0650 है0 भूमि के खातेदार रेस्पों. संख्या 1 से 4 काबिज काश्त थे। उपरोक्त आराजीयात में सम्वत् 2033 से 2035 की जमावंदी एवं इससे पूर्व राजस्व रेकार्ड का जो रकबा एवं नक्शा था वो रकबा एवं नक्शा वक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों की गलती से जो नक्शा था पूर्व के नक्शे में उक्त आराजी नम्बर का नक्शा बदल दिया गया। जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठि को घटाने – बढ़ाने का किसी प्रकार से कोई कानूनी व वैधानिक अधिकार नहीं होने के बावजूद भी कानूनी भूल की है जिसे पूनः पूर्ववत किया जाना आवश्यक होने से रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा के न्यायालय में पेश किया। उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा द्वारा रेस्पों. संख्या 1 से 4

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार कर मौजा ढिकोड़ा पटवार क्षैत्र दियाण तहसील गोगुन्दा की साबिक आराजी नम्बर 2461, 2462 रकबा 8 विश्वा 10 विश्वांसी के हाल आराजी नं. 3501 रकबा 0.0650 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज है कि जमाबंदी में दर्ज रकबा व नक्शे के अनुसार पूनः प्राथीगण के नाम रोड़ में चली जाने के बाद कम हुए शेष रकबे को सम्मिलित करते हुए 7 विश्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करते हुए साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिनांक 17.11.2015 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 उपस्थित, जिसकी बहस दिनांक 22.05.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि मौजा ढिकोड़ा तहसील गोगुन्दा में साबिक आराजी नं. 2456 रकबा 1 बिस्वा व साबिक आराजी नम्बर 2457 रकबा 1 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नं. 3500 रकबा 0.0100 है. एवं आराजी नं. 3495 रकबा 0.0100 है. भूमि स्थित है। इस भूमि में से इंचमात्र जमीन सड़क में नहीं गयी है तथा मौके पर जमीन पूर्ववत् जैसी स्थित थी वैसी ही आज भी स्थित है। आराजी नम्बर 3500 रकबा 0.0100 हे. पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 की जमीन जो पहले स्थित थी उसमें से ढाई बिस्वा जमीन सड़क में गयी है। रेस्पों. सं. 1 से 4 ने गलत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती का अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर अपने आपको 0.0100 है. का खातेदारी की घोषणा कर स्वयं के नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि ऐसे मामले में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है। इस प्रकरण में साबिक रेकर्ड व हाल रेकर्ड के मुकाबले दावे में शहादत लेकर तनकियात को साबित कराना होता है तथा राईट व टाईटल तय कराना होता है जिसका अधिकार धारा 136 के तहत अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने तीस वर्षो बाद जानबूझकर गलत इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जो किसी भी सूरत में लाई नहीं होता है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 तक का अपीलान्ट की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी शहादत के जो आदेश पारित किया वह बिल्कूल गलत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के हैं।

यह जमीन पहले पूर्व विक्रेता के खाते थी तथा अपीलान्ट ने कथित जमीन को दिनांक 08.07.2013 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा उसी अनुसार उसके खाते दर्ज हुई। इस मामले में धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रार्थना पत्र लायी नहीं होता

है तथा धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत केवल क्लेरिकल मिस्टेक को ही सुधारा जा सकता है या दोनों पार्टी जिस गलती को स्वीकार करे उसे सुधारा जा सकता है या इन्सपेक्शन के दौरान कोई गलती नजर में आवे तो उसी को धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यु एक्ट के तहत सुधारा जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में RRT 2002(1) Page 150, RRT 2002(1) Page 414 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने बहस में बताया कि रेस्पों. संख्या 1 से 4 की खातेदारी, आधिपत्य एवं मिलकियत कि कृषि भूमि मौजा ढिकोड़ा पटवार मण्ड़ल दियाण तहसील गोगुन्दा के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2035 के साबिक आराजी नम्बर 2461, 2462 रकबा 8 बिस्वा 10 विस्वांसी के हाल आरजी नम्बर 3501 रकबा 0.0650 है. भूमि स्थित है जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी में से पूर्व दिशा से डेढ़ विस्वा भूमि रेस्पों. की भी रोड़ में चली गई थी। शेष रकबा 7 बिस्वा था जो कम होकर 6 बिस्वा के करीब रह गया है जो करीब एक विस्वा कम है। पूर्व राजस्व रेकार्ड का जो रकबा एवं नक्शा था वो रकबा एवं नक्शा वक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों की गलती से जो नक्शा था पूर्व के नक्शे में उक्त आराजी नम्बर का नक्शा बदल दिया गया। रेस्पों. के उक्त हिस्से के नक्शे में से कुछ हिस्सा रेस्पों. संख्या 5 से 13 की आराजी नम्बर 3500 रकबा 0.0100 है. एवं आराजी नम्बर 3495 रकबा 0.0100 है. जिसके साबिक आराजी नम्बर 2457 एवं 2456 है जो रेस्पों. की आराजीयात के दक्षिण दिशा में साबिक नक्शे में स्थित थे जो रेस्पों. संख्या 5 से 13 की आराजी थी वो आराजी वहां से रोड़ निकली उसमें चली गई तथा जो आराजी रेस्पों. संख्या 1से 4 की थी उसके दक्षिण दिशा स्थान पर गलती से रेस्पों. संख्या 5 से 13 की आराजी होना दर्शाया गया है जो गलत है। जबकि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि को घटाने– बढ़ाने का किसी प्रकार को कोई कानूनी व वैधानिक अधिकार नहीं है। तहसीलार गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी साबिक एवं हाल के मुकाबले क्षैत्रफल में कमी होना माना है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। जिससे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि पक्षकारान द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज

प्रस्तुत किये गये। निर्णय दिनांक 17.11.2015 पारित किये जाने के समय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजों के उचित परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नक्शा, जमाबन्दी का अवलोकन कर, पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा का आदेश दिनांक 17.11.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर